फाइल नं0-71-3002(002)/31/2024-03

144/2024/1/837331/2024

प्रेषक,

चन्द्रशेखर मिश्र,
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ : दिनॉक 31 दिसम्बर, 2024

विषयः- वित्तीय वर्ष 2024-25 में हृदय रोग संस्थान, कानपुर के कार्डियक सर्जरी विभाग में सीलिंग माउण्टेड वैस्कुलर कैथलैब विद टी0ई0ई0 इन्टीग्रेशन फार हाइब्रिड ओटी-1 नग एवं कार्डियक मेडिसिन विभाग में फ्लोर माउण्टेड फ्लैट पैनल डिटेक्टर कैथलैब-2 नग की आपूर्ति एवं स्थापना कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एमई/निर्माण/2024-25/73, दिनॉक 27.06.2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हृदय रोग संस्थान,कानपुर के कार्डियक सर्जरी विभाग में सीलिंग माउण्टेड वैस्कुलर कैथलैब विद टी0ई0ई0 इन्टीग्रेशन फार हाइब्रिड ओटी-1 नग एवं कार्डियक मेडिसिन विभाग में फ्लोर माउण्टेड फ्लैट पैनल डिटेक्टर कैथलैब-2 नग की आपूर्ति एवं स्थापना कार्य हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा आकलित लागत रू0 3680.26 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या- 31 के अन्तर्गत पूंजीलेखा पक्ष में 4210-03-105-44- गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज, कानपुर में स्थापित कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट हेतु मानक मद-24- वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 100.00 लाख (रू0 एक करोड़ मात्र) की धनराशि प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) कैथलेब की स्थापना से संबंधित कार्यमदों की अधिकतर दरें बाजार दरों/कोटेशन के आधार पर प्रस्तावित की गई है। चूँकि कैथलैब में प्रस्तावित उपकरणों इत्यादि की दरें पूर्व निर्धारित नहीं है। अतः प्रस्ताव के साथ संलग्न कोटेशन के आधार पर लागत आंकलित की गयी है। इसका समस्त उत्तरदायित्व निदेशक/कार्यदायी संस्था का होगा।

(2) कैथलेब की स्थापना कार्य के दृष्टिगत निदेशक, हृदय रोग संस्थान की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाये, जिसमें अन्य हृदय रोग विशेषज्ञ तथा कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि भी शामिल हो। इस समिति की देखरेख में उक्त कार्यो को सम्पादित कराया जाना सुनिश्चित किया जाये, जिससे भविष्य में अन्यथा की स्थिति से बचा जा सके।

(3) प्रायोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाये।

(4) नियमानुसार समस्त यथा आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं को यथावत् मानते हुए मात्र दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक/कार्यदायी संस्था का है।

(6) प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाये।

(7) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत् मानते हुए लागत का आंकलन किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(8) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व प्रधानाचार्य द्वारा यह सुनिश्चित जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जायेगा।

(9) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–10/2021/बी-2-96/दस-2021-10/99, दिनॉक 22.03.2021 के अनुसार अनुमोदित प्रायोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त इसकी डी0पी0आर0 गठित करने के उपरान्त ही तकनीकी स्वीकृति निर्गत की जाये। यदि इस प्रक्रिया में यह परिलक्षित होता है कि प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष तकनीकी स्वीकृति की लागत 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है, तो प्रायोजना का पुनरीक्षित आगणन का गठन करते हुए 03 माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन पर व्यय वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जाये, अन्यथा की स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना पर व्यय वित्त समिति द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

(10) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। निदेशक/कार्यदायी संस्था द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 अलग से सम्मिलित न हो।

(11) प्रायोजनान्तर्गत कैथलेब की स्थापना से संबंधित उपकरणों एवं संबंधित अन्य सामग्री का क्रय प्रथमतया जेम पोर्टल के माध्यम से किया जाये। इस हेतु यदि आवश्यक हो तो निदेशक/निर्माणकर्ता फर्म से विचार-विमर्श कर इन उपकरणों एवं अन्य सामग्रियों को जेम पोर्टल पर उपलब्धता सुनिश्चित करायी जाये। समस्त अपेक्षित प्रयासों के उपरान्त भी यदि उक्त उपकरणों एवं अन्य संबंधित सामग्रियों की उपलब्धता जेम पोर्टल पर नहीं हो पाती है, तो उस स्थिति में पारदर्शी तरीके से अन्य माध्यम से इन उपकरणों एवं संबंधित सामग्रियों का क्रय किया जाये।

(12) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में प्रस्तावित कैथलेब की स्थापना से संबंधित कार्यमदों आदि की लागत को इंडीकेटिव दरें मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। अतः क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यो हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा इत्यादि के आधार पर लागत दरें प्राप्त करें। चूॅकि यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य है एवं इनके शिड्यूल ऑफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते है तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेसिफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अतः निदेशक/कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर सुनिश्चित कराया जाय।

(13) **वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 04.03.2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(14) कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक एवं कार्यदायी संस्था की होगी।

(15) निदेशक द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है।

(16) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(17) अगर संस्थान में निष्प्रयोज्य कैथलैब के स्थान पर नयी कैथलैब की स्थापना की जा रही है, तो निदेशक द्वारा निष्प्रयोज्य कैथलैब का नियमानुसार नीलामी कर प्राप्त धनराशि को राजकोष में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(18) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित कार्यो की दुरावृत्ति नहीं हो रही है।

(19) अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को डाकघर/बैंक खाते में नही रखा जायेगा।

(20) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा।

(21) संबंधित परियोजना के आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या- 031 **लेखा शीर्षक** 42100310544 गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज, कानपुर में स्थापित कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या ई-3-204/दस-2024-25, दिनांक 29 नवम्बर, 2024 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

(चन्द्रशेखर मिश्र)
उप सचिव।

संख्याः- उपरोक्त, तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- निदेशक, हृदय रोग संस्थान, कानपुर।
3- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, हृदय रोग संस्थान, कानपुर।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
7- नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(चन्द्रशेखर मिश्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।